न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 07/2021

1. जगदीश, सुरेश पिसरान किशनलाल जाति माली निवासी अंछापुरा तहसील महवा जिला दौसा ।

... अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा।

... रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 22.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जगदीश वगै0 मु0नं0 13/2021 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र सैनी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने दिनाक 22.02.2021 को ग्राम अन्छापुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1082/1330 रकबा 0.04 है0 पर संवत 2077 रबी में गेहूँ की काश्तकर अतिचार करने पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का हडिया ने अपीलांट्स के खिलाफ रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलांट ने ग्राम अन्छापुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1082/1330 रकबा 0.04 है0 पर गेहूँ की काश्तकर अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त नहीं की गई है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था। अधीस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब पेश करने हेतु उचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुए बिना और पटवारी से जिरह का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नही है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट

धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमे अपीलांट्स बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए हैं। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बावजूद नोटिस तामील होने पर अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर गेंहूँ की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, परन्तु अपीलांट्स द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांट्स के शपथ–पत्रो को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2021 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख, अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official